न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कक्ष संख्या 07 मेरठ।

परिवाद वाद संख्या 906/2019

सीएनआर नं0 यूपीएमई–0405–6063–2019

मैसर्स स्टीड स्पोर्टस बनाम प्रसव

दिनांक 24.09.2021

आज यह पत्रावली प्रस्तुत की गयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही है न ही उसके विद्धान अधिवकता हाजिर है। समय 2.25 मिनट हो चुका है पुनः पुकार करायी गयी है। पुकार पर काई हाजिर नही है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत परिवाद परिवादी की साक्ष्य धारा 202 दं0प्र0सं0 हेतु नियत चली आ रही है परन्तु परिवादी लगतार गैर हाजिर है। परिवादी की ओर से आज तक भी अपनी साक्ष्य धारा 202 दं0प्र0सं0 के तहत किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित नही कराया गया। आज परिवादी की ओर से न तो कोई पैरोकार हाजिर है न ही उसकी ओर से कोई स्थगन या हाजरी माफी प्रार्थना पत्र ही दिया गया है। परिवादी के विद्धान अधिवकता भी हाजिर नही है। ऐसा लगता है कि परिवादी अपने धारा 202 दं0प्र0सं0 किसी अन्य साक्षी को प्रस्तुत करना नही चाहता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिसके आधार पर विपक्षी के विरूद्ध कोई मामला बनता हो। अतः परिवादी का परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 खारिज किये जाने योग्य है।

अतः परिवादी का परिवाद धारा 203 दं0प्र0स0 खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

(स्वाति चन्द्रा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या 07, मेरठ।